संख्या–336 / XXIV(1) / 2008–08 / 2004

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक): देहरादूनः दिनांकः 17 मार्च, 2008

विषयः– ढुलान भाड़े की धनराशि को व्यय किये जाने की अनुमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–27407 / 5(क)–ढु0भा0 / 2007–08, दिनांक 27 अगस्त, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद टिहरी हेतु रू0 90,000 / –(रूपये नब्बे हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या–453 / XXIV(1) / 2007–52 / 2006, दिनांक 14.08.2007 द्वारा आपके निवर्तन पर इस योजना के अन्तर्गत रखी हुई धनराशि रू0 20,00,000 / – में, से व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय निर्धारित दिशा निर्देशों / मानको के अनुसार स्वीकृत मदों पर ही नियमानुसार किया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत –01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता– 21–पोषाहार के ढुलान भाड़े का भुगतान–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1067(P) अनुभाग–3/2007, दिनांक 14.03.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरिचन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
4. अपर जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।